मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ई-मेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/आयातित दलहन/32/1584 भोपाल, दिनांक 30 /06/2025

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)।

विषयः-आयातित दलहन "तुअर" पर मंडी फीस के भुगतान पर पूर्णतः छूट के संबध में।

संदर्भः-मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 जून 2025 के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित मध्यप्रदेश राजपत्र का अवलोकन करना चाहेगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिसूचित कृषि उपज तुअर जो कि राज्य के बाहर से (आयातित) मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों में प्रसंस्करण हेतु लाई गई हो, पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपके क्षेत्रांतर्गत मंडियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

30/06/25

संयुक्त संचालक
मप्रराज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/आयातित दलहन/32/1585 भोपाल, दिनांक 30 /06/2025

प्रतिलिपि :-

सचिव कृषि उपज मंडी समिति ....(समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं पालन हेतु।

30/06/25

संयुक्त संचालक
मप्रराज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159] भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 जून 2025—आषाढ़ 2, शक 1947

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2025

क्र.–AGR–18–0024–2025–Sec–2–चौदह (AGR) (481813).– मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित कृषि उपज तुअर जो कि राज्य के बाहर से (आयातित) मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों में प्रसंस्करण हेतु लाई गई हो, पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

मंडी फीस के भुगतान से यह छूट इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश "राजपत्र" में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2025

क्र.–AGR–18–0024–2025–Sec–2–चौदह (AGR) (481813)–1796.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 23 जून 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd June 2025

No. AGR-18-0024-2025-Sec-2-XIV(AGR) (481813).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, exempt payment of whole market fee payable under the said Adhiniyam on the notified agricultural produce of Tuar brought from out of the State (imported) for processing in the Dal Mills established in the market area.

This exemption from payment of market fee shall be with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette till further order.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG SAXENA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.